रेरा निबंधित परियोजनाओं और प्रोमोटरों की रैंकिंग जारी करेगा

संवाददाता,पटना

रेरा बिहार जल्द ही चल रहे निबंधित परियोजनाओं और निबंधित प्रोमोटरों की रैंकिंग जारी करने जा रहा है, जिनकी परियोजनाएं 2016 के रियल एस्टेट अधिनियम के बनने के बाद प्राधिकृत की गयी थीं. रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्य का उद्देश्य उन सभी निबंधित परियोजनाओं के प्रदर्शन की एक अच्छी रिपोर्ट प्रदान करना है, जिनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है. साथ ही उन प्रोमोटरों की रैंकिंग भी जारी करना है, जिन्होंने रेरा अधिनियम के लागू होने के बाद अपनी परियोजनाओं को निबंधित किया है. इससे संभावित घर खरीदार किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले एक सूचित निर्णय ले सकें. परियोजनाओं की रैंकिंग के लिए बिहार रेरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोटिएंट का प्रयोग किया गया है और प्रोमोटर के लिए बिहार रेरा प्रोमोटर्स कोटिएंट शब्द का प्रयोग किया गया है.

रेरा बिहार अध्यक्ष ने कहा कि परियोजनाओं की रैंकिंग के संदर्भ में भौतिक प्रगति, आवंटकर्ताओं से जुटाये गये धन का उपयोग, शिकायतों की संख्या और परियोजना के प्रोमोटर के खिलाफ दायर ऐसे मामलों को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने यह भी

कार्यक्रम में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह व अन्य.

कहा कि निबंधित प्रोमोटरों की रैंकिंग में, अनुभव, निबंधित परियोजनाओं की संख्या, समय पर परियोजनाओं का पूरा होना और कानूनी मामले आदि को ध्यान में रखा गया है.उन्होंने कहा कि सभी निबंधित प्रोमोटरों को परियोजनाओं और प्रोमोटरों की रैंकिंग के लिए उपयोग किए गए मापदंडों के बारे में जानकारी दी गयी है. उनके सुझावों को आमंत्रित किया गया है, ताकि अगर जरूरत हो तो विचार करने के बाद ही आम लोगों के लिए रिपोर्ट को जारी किया जायेगा. विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बीआरक्यू और बीपीक्यू के डेटा जल्द ही रेरा बिहार की वेबसाइट rera.bihar.gov.in पर रखा जायेगा, ताकि संभावित घर खरीदार अपने धन को वास्तु संपत्ति पर निवेश करने से पहले एक सूचित निर्णय ले सकें.